भारतीय राजकोषीय नीति

- सार्वजनिक ब्यय,करारोपण,सार्वजनिक ऋण तथा हिनार्थ प्रबन्धन में संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते है |
- विशुद्ध राजकोषीय नीति वह है जो अर्थव्यवस्था में ब्याजदर तथा मुद्रा की पूर्ति को किसी तरह प्रभावित न करे क्योंकि ये दोनों ही मौद्रिक नीति के क्षेत्र में आते है |
- इस प्रकार राजकोषीय नीति के चार पहलू होंगे -
  1.संसाधनों का आबंटन
  2.आय का वितरण
  3.आर्थिक स्थिरता
  4.आर्थिक विकास
- करारोपण,सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति के तीन महत्वपूर्ण अस्त्र है |

घाटा वित्तीयन :

- एक प्रकार की केन्द्रीय बैंक से ली जाने वाली ऋण व्यवस्था है जिसे सरकार देश के केन्द्रीय बैंक से नये नोटों के निर्गमन के द्वारा प्राप्त करती है | इसे राजकोषीय नीति के चौथे अस्त्र के रूप में स्वीकार किया जाता है |
- राजकोषीय नीति किसी भी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि निष्पति को दो प्रकार से प्रभावित करती है |
- वह विकास के लिए साधनों के एकत्रण की कार्य कुशलता संवृद्धि निष्पति पर असर डालती है ||
- वह विकास के लिए साधनों के आबंटन की कार्य कुशलता में सुधार कर अपना प्रभाव डालती है |
    - भारत में राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य रहे है-
- अर्थव्यवस्था के निष्पादन में सुधार
- जनता को सामाजिक न्याय दिलाना
- 1980 के दशक में नवपरम्परावादी विचारधारा के पुनरोदय से संतुलित बजट को बिना किसी तर्क और औचित्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्राप्त हो गई है |
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध विधेयक के संबंध में एक समिति का गठन 17 जनवरी,2000 को हुआ था |
- राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनयम 5 जुलाई,2004 से प्रभावी हो गया और इसके आधार पर केन्द्र सरकार के लिए मार्च 2009 तक अपने राजस्व घाटे को खत्म करना आवश्यक हो गया | जिस आधार पर केन्द्र सरकार का राजकोषीय घाटा मार्च 2009 तक कम होकर 3% रह जाना चाहिए |

राजकोषीय असंतुलन -

- राजकोषीय असंतुलन का अनुमान लगाने के लिए राजस्व घाटा,सकल राजकोषीय घाटा और मुलभुत घाटा का प्रयोग किया जाता है |
- राजकोषीय घाटा सरकार की ऋणग्रस्तता को पूरी तरह प्रकट करता है |
- प्रमुख घाटे
- राजकोषीय घाटे
- राजस्व घाटे
- प्राथमिक घाटे
- बजटीय घाटे
- विकासशील देशों के घाटे वित्त व्यवस्था की नीति अपनाई जाती है अर्थात् जानबूझ कर आय से अधिक व्यय करना |
- यह नियंत्रित होना चाहिए अन्यथा मुद्रा स्फूर्ति की स्थिति उत्पन्न होगी |
- बजटीय घाटा वर्तमान में '0' है (1997-98)
    - **राजकोषीय घाटा**
- सरकार के सम्पूर्ण बजेटरी व्यवहार के कारण उसकी कुल देयता में होने वालो वृद्धि को ज्ञात करने के लिए हम घाटे की एक नयी धारणाका प्रयोग करते है जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं |
- भारत में राजकोषीय घाटा की अवधारणा के पहली बार प्रयोग का श्रेय डॉ० मनमोहन सिंह को जाता है | जिन्हीने 1991 में अपनी केन्द्रीय बजट में यह धारणासामने रखी |
- राझोशीय घाटा=कुल सार्वजनिक व्यय-(कुल सार्वजनिक आय-ऋण से आय)
- FD=100 पैसा-(100-27पैसा)=100-73=27 पैसा
- वर्ष 2011-12 के लिए FD,GDP का 4.6% है |
- अर्थात् यदि सरकर अपनी राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय कर रही है तो हम राजकोषीय घाटा कहते है
- केनेथ गालब्रेथ में राजकोषीय घाटा तथा चालू खाता घाटा को जुड़वाँ घाटा कहा |
- राजकोषीय घाटा को पूरा करने के स्त्रोत -
- आंतरिक बाजार उधारी
- विदेशी ऋण

- अल्प बचत स्कीम
- विशिष्ट जमा
- प्रोविडेन्ड फंड
- अन्य

राजस्व घाटा

कुल राजस्व व्यय-कुल राजस्व व्यय

- अर्थात् जब कुल राजस्व व्यय कुल राजस्व आय से अधिक हो तो राजस्व घाटा होता है |
- वर्ष 2011-2012 में FD,GDP का 3.4% है |
- नोट:केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों का मानक अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रीय द्वारा वित्त आयोग का गठन किया गया है |
- इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है |
- इसमें 5 सदस्य होते है एक अध्यक्ष व चार सदस्य |
- सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष K.C. नियोगी थे |
- 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर है |
- 13वें वित्त आयोग का समय 1 अप्रैल,2010 से 31 मार्च,2015 तक है |
- 13वें वित्त आयोग के अनुसार केन्द्रीय दरों में राज्यों का हिस्सा 32.5% है |

प्राथमिक घाटा

- राजकोषीय घाटा बात इस पर प्रकाश डालता है कि बजेटरी व्यवहार से उत्पन्न घाटा कितना है वर्तमान बजेटरी व्यवहार से उत्पन्न घाटे को ज्ञात करने के लिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को निकल देते है तब इसे प्राथमिक घाटा कहते है | वर्ष 2011-12 के लिए PD,GDP का 1.6% है |

क्रियात्मक घाटा

- क्रियात्मक घाटा राजकोषीय घाटा को स्फीतिक समयोजन के बाद प्रदर्शित करने की धारणाहै स्फीतिक समयोजित राजकोषीय घाटा ही क्रियात्मक घाटा है |
    - **मौद्रिक घाटा**
- घाटे की वह राशि जिसकी वित्तीय व्यवस्था नोट निर्गमन के द्वारा हो उसे मौद्रिकरण कहते है और उस घाटे को मौद्रिक घाटा कहते है |
    - बजेटरी घाटा
- कुल व्यय -कुल व्यय

(कुल राजस्व आय+ कुल पूंजीगत आय)-(कुल राजस्व व्यय+कुल पूंजीगत व्यय)

- बजेटरी घाटा होने पर सरकार इसकी पूर्ति रिजर्व बैंक से अपनी नकदी की निकासी के द्वारा या ऐडहॉक टेजरी बिल्स (90 दिनों की अवधि की अल्पकालिक प्रतिभूति) को रिजर्व बैंक को देकर करता है |
- अब ऐडहॉक टेजरी बिल्स को समाप्त करके अर्थोपाय अग्रिम की प्रक्रिया शुरू की गई है |

अर्थोपाय अग्रिम

- 1,अप्रैल,1997 से एडहॉक टेजरी बिल्स प्रणाली को समाप्त करके उसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम की व्यवस्था को लागू किया गया |
- अर्थोपाय अग्रिम बजट के वित्तीयन का स्त्रोत नहीं है इसलिए इसे बजट अनुमान में सम्मिलित नहीं किया जाता है |
- यदि सरकार RBI को उसी वर्ष अर्थोपाय अर्गिम का भुगतान नहीं कर सकें तो उसे अगले वर्ष के राजकोषीय घाटे में शामिल कर दिया जाता है जिसके कारण राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है | अथवा राजकोषीय घाटा प्रभावित होगा |
- 1998-99 में आर० वी० गुप्ता कमेटी की संस्तुति पर 1999-2000 से अल्प बचत के संबंध में एक नयी योजना अपनायी गयी जिसके अनुसार अल्प बचतों को सार्वजनिक खाते प्रदर्शित करने का निर्णय लिया गया |
- अल्प बचत स्कीम डाकघरों के माध्यम से क्रियान्वित होती है |

भारत में बजट व्यवस्था :

- भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है,केन्द्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय का वितरण संसद के सामने रखना आवश्यक होता है |
- संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत में एक 'वित्त आयोग' की स्थापना का प्रावधान है - बजट में तीन लगातार वर्षो के व्ययों तथा प्राप्तियां का विवरण,आने वाले वर्ष के लिए बजट अनुमान,चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान तथा इसका कारण एक वर्ष पीछे की वास्तविक प्राप्तियां और व्यय है |

- यह आने वाले वर्ष की वार्षिक वित्तीय विवरण है |
- राजकोषीय नीति का दस्तावेज़ है |
- प्रत्येक वर्ष फरवरी माह ले अंतिम कार्य दिवस को लोक सभा में प्रस्तुत किया जाता है |
- रेलवे एकमात्र एक विभाग है जिसका अलग से बजट प्रस्तुत किया जाता है इसे आम बजट से 1921 में अलग के दिया गया था |
- आम बजट के एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है |
- आर्थिक समीक्षा पिछले बजट की समीक्षा है | उससे एक दिन पहले रेलवे बजट प्रस्तुत किया जाता है |
- अंतरिम बजट,आम बजट पास होने के विलम्ब की स्थिति में लाया जाता है |
- स्वंतत्र भारत का पहला बजट 26 नवम्बर,1947 को प्रथम वित्तमंत्री आर० के० शेट्टी द्वारा पेंश किया गया है |
- वर्ष 1950 को जॉन मथीई द्वारा गणतन्त्र भारत का प्रथम केन्द्रीय बजे पेश किया गया |
- स्वंतत्र भारत के चार प्रधानमंत्री ऐसे हुए है जो वित्तमंत्री पद पर रह चुके है-मोरारजी देसाई,चौधरी चरण सिंह,विश्वनाथ प्रताप सिंह और डॉ० मनमोहन सिंह |
- भारत में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्रियों में मोरारजी देसाई थे | उन्होंने कुल दस बजट पेश की थी |
- वित्त मंत्री के रो में वर्ष 1992 में डॉ० मनमोहन सिंह देश में आर्थिक उदारिकरण की नीति लागू करने की घोषणा की थी |
- 25 फरवरी,1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को सामान्य बजट का टेलीविजन पर प्रसारण शुरू हुआ | अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के बदलते आयामों,उद्देश्यों आदि के फलस्वरूप बजट की प्रक्रिया में परिवर्तन होते रहते है |

बजट के प्रकार

- **पारम्परिक बजट या आम बजट :** मुख्य उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर वित्तीय नियन्त्रण स्थापित करना है इसमें किस क्षेत्र में कितना धन व्यय करना है इसका उल्लेख होता है,किन्तु इस व्यय के खर्च से क्या-क्या परिणाम प्राप्त करने है,उनका ब्यौरा नहीं दिया जाता है |
- **निष्पादन बजट:** इसबजट से अभिप्राय उस बजट से है जो सरकारी कार्यवाही को कार्यो,कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों के रूप में प्रस्तुत करती है निष्पादन बजट सरकारी प्रचलन के कार्य ; कार्यक्रमों,क्रियाओं तथा परियोजनाओं का पेश करने की एक कार्य विधि है,इस प्रकार संक्षेप में निष्पादन बजट मूलतः लक्ष्यों मुखी तथा उद्देश्यपरक प्रणाली पर आधारित है निष्पादन बजट का प्रयोग 1951 में सयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था |
- **जीरोबेस बजट:** इसप्रणाली को सर्वप्रथम 1973 में अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के बजट में जिमी कार्टर द्वारा अपनाया गया तथा बाद में 1979 में इसे अमेरिका के बजट में राष्टीपति जिमी कार्टर द्वारा अपनाया गया |
- शून्य आधारित बजट प्रणाली व्यय पर अकुश लगाने की एक तार्किक प्रणाली है |
- भारत में केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों में लागू करने के उद्देश्य से केन्द्र सेकर द्वारा इसे बजट वर्ष 1987-88 से लागू करने का निर्णय लिया गया |

आउटकम बजट :

- केन्द्र सरकार द्वारा नई पद्धति की शुरुआत की घोषणा वर्ष 2005-06 के बजे में की गई तथा देश के संसदीय इतिहास में पहली बार 25 अगस्त,2005 को आउटकम बजट संसद में प्रस्तुत किया गया |
- एक वित्तीय वर्ष में किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आंबटित किए गए बज्र में अनुश्रवण तथा मुल्यांकन लिए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण उद्देश्य से किया जाता है ताकि बजट के क्रियान्वयन की गुणवत्ता को परखा जाना सम्भव हो सकें |

जेंडर बजट:

- देश में महिला आधिकारिता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जेंडर बजट की शुरुआत की गई | महिलाओं के विकास,कल्याण आयर सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट

में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रावधान किए जाते हैं |

- संविधान के अनुच्छेद 266तथा 267 में बजट के ढ़ांचे के अनुसार तीन प्रकार के खातों के रूप में सरकारी व्यवहार को प्रस्तुत किया जाता है |

संचित कोष :

- संचित कोष वह है जिसमें सरकार की सम्पूर्ण प्राप्तियाँटेजरी बिल्स,सरकारी ऋणों के निर्गमन अर्थापाय अग्रिमों तक की अदायगी से प्राप्त किया जाता है | सरकार के सभी व्यय इस फंड से होंगे |
- इस फंड से रकम तब तक नहीं निकली जा सकती है जब तक कि विनियोजना अधिनियम द्वारा इस व्यय को अधिकृत नही किया गया |

सार्वजनिक खाता :

- संविधान की धारा 266 (2) के तहत संचित फंड ऐसी प्राप्तियां होती है जो वास्तव में सरकार की नहीं होती है बल्कि सरकार दुसरो के लिए अपने पास रखती है जिन्हें बाद में लौटा देती है |
- सरकार केवल एक बैंकर के रूप में कार्य करती है |

आकस्मिक कोष

- संविधान के अनुच्छेद 267 में यह एक प्रकार के आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राशि है जो केन्द्र सरकार में राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार में राज्यपाल के पास प्रयोग के लिए रहता है |

- सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त : सार्वजनिक वित्त अर्थात् सरकार की वित्तीय स्थिति,जिसमें सरकार की प्राप्तियां और सरकारी व्यय आदि शामिल है |
- **सार्वजनिक आय :** सरकार की प्राप्तियों को सार्वजनिक आय कहते है | यह दो भागों में बांटी गई है |
- **राजस्व आय:** राजस्व प्राप्तियाँ सरकार की आय होती है ऐसी प्राप्तियां जिनके लौटने का दायित्व सरकार पर न हो या जिनके साथ किसी सम्पत्ति की बिक्री न जुडी हो |
- प्राप्तियों में सार्वजनिक ऋण सम्मिलित होगा पर यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों में नहीं आता |
- राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की है - (i)कर राजस्व (ii) गैर-कर राजस्व
- **कर राजस्व** : कर के आधार पर प्राप्त होने वाली आय का राजस्व कहलाती है जैसे - आयकर आदि |
- **गैर-कर राजस्व** : लाभ,ब्याज,किराया,कमीशन आदि|
- पूंजीगत आय : इसके अंतर्गत पूँजी प्राप्ति के स्त्रोत है - राजस्व अधिक्य,आंतरिक बाजार उधारी,ऋण तथा अग्रिमों की वापसी,विनिवेश,विदेशी ऋण तथा सहायता,अल्पबचत तथा भविष्य निधि,विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे-मुद्राकोष,एशियन विकास बैंक,विश्व बैंक आदि से प्राप्त सहायता |
- पूंजीगत प्राप्तियों दो प्रकार की है - (i)ऐसी प्राप्तियाँ जो केन्द्र सरकार के दायित्व या ऋण में वृद्धि लती है (ii) ऐसी प्राप्तियां जो केन्द्र सरकार की सम्पतियों में कमी लाती है |
- **सार्वजनिक व्यय :**कुल सार्वजनिक व्यय में योजनागत व्यय की भागीदारी गैर-योजना गत व्यय से अधिक होनी चाहिए लेकिन भारत में कुल व्यय में गैर-योजना गत व्यय की भागीदारी लगभग 2/3 और योजनागत व्यय की भागीदारी 1/3 है |
- **राजस्व व्यय :** वे सरकारी व्यय जो अर्थव्यवस्था की सिर्फ चालू आय को ही प्रभावित करता है जैसे-प्रतिरक्षा व्यय,प्रशासनिक व्यय एवं राजकोषीय सहायता पर हिने वाले व्यय |
- **राजस्व व्यय दो प्रकार के है -** (i)योजना राजस्व व्यय (ii)गैर-योजनागत राजस्व व्यय |
- योजनाथ राजस्व व्यय : वे व्यय जिन्हें केन्द्रीय योजना के तहत पाँच वर्षीय योजनाओं के प्रारूप को ध्यान में रख कर तय लिया जाता है |
    - कुछ प्रमुख योजनागत व्यय (i)ऊर्जा व बिजली (ii)सामाजिक सेवाएं (स्कूल,हॉस्पिटल) (iii)परिवहन
- गैर-योजनागत राजस्व व्यय : योजनाओं के आलावा सभी व्यय जो सामान्यत:सामाजिक व आर्थिक सेवाओं से जुड़े हो राजस्व गैर योजनागत व्यय है | जैसे-प्रशासनिक व्यय(वेतन,पेंशन)

गैर-योजनागत राजस्व व्यय :

1.प्रशासनिक व्यय

2.सब्सिडी अथवा अनुदान

3.ब्याज अदायगी

4.रक्षा
5.रख-रखाव

- योजना आयोग ने डॉ.सी.रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो सार्वजनिक व्यय के योजना तथा गैर योजना राजस्व तथा पूँजी व्यय के बीच वर्गीकरण पर विचार करेगी |
- **पूंजीगत व्यय:** पूंजीगत व्यय दो प्रकार के होते है- (i)योजनागत पूंजीगत व्यय (ii)गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय |
- योजनागत पूंजीगत व्यय : योजनागत व्यय केन्द्रीय योजना तथा राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित है |
- गैर-योजनागत पूंजीगत व्यय : ये व्यय चार भागों में वर्गीकृत है-
- सामान्य सेवाओं पर
- सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर
- आर्थिक सेवाओं पर-प्राकृतिक विपदाएँ आदि
- ऋण तथा अग्रिमों के रूप में भुगतान |

कर प्रणाली

- भारत मे सरकार के तीन स्तर है - 1.केन्द्र सरकार 2.राज्य सरकार 3.स्थानीय सरकार
- कराधान सार्वजनिक आय का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है ।
- कराधान की शक्ति केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से बंटी होती है क्योकि स्थानीय सरकार के सीधे तौर से राज्य सरकार के अंतर्गत ही आतीहै
- केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच करों का विभाजन संविधान द्वारा किया गया जिसमें समय-समय पर संशोधन हेतु वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है । भारत की के प्रणाली अनुसार निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई है
- केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में सीमा शुल्क और निगम कर का कराधान शामिल है |
- कुछ करों को लगाने अधिकार राज्य सरकारों को है और उनमें एकत्रित सारी आय वे अपने कार्यो पर व्यय करती है | इस श्रेणी में मुख्य कर है- बिक्री कर,मालगुजारी,राज्य उत्पादन शुल्क,कृषि आयकर तथा मनोरंजन कर |
- कुछ कर ऐसे है,जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उनमे प्राप्त राजस्व को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बाँट दिया जाता है इस राजस्व को केंद्र और राज्यों के बीच वितरण का अनुपात वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है | इस श्रेणी में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आयकर आते है |
- कुछ कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते है तथा एकत्र भी किए जाते है,लेकिन उनसे प्राप्त समस्त राजस्व को राज्य सरकारों में बाँट दिया जाता है इस श्रेणी में प्रमुख कर और शुल्क है-कृषि भूमि के आलावा अन्य सभी समिति पर सम्पदा शुल्क;रेल किराये और भाड़े पर शुल्क;तेल,समुद्र एवं वायु से यात्रा करने और मॉल ढुलाई पर टर्मिनल कर;समाचार पत्रों के क्रय-विक्रय और उनमें विज्ञापन पर कर |
- कुछ कर और शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते है परन्तु उनको एकत्रित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होता है और उनसें प्राप्त राजस्व का व्यय भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है |
- राज्य सरकारों द्वारा कर राजस्व राज्य सरकारों के कर राजस्व के प्रमुख स्त्रोत है - केन्द्रीय आयकर और उत्पादन शुल्क में राज्यों का भाग वाणिज्यिक कर,मालगुजारी,स्टाम्प रजिस्टेशन शुल्क और मादक पदार्थो पर उत्पादन कर |
- वाणिज्यिक करों को श्रेणी में बिक्री कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वाणिज्यिक करों में शामिल कुछ अन्य कर है -मोटर स्प्रिट कर,मनोरंजन कर,मोटर गाड़ियाँ पर कर, बिजली शुल्क आदि |
- भारत में लगाए जाने वाले करों को दो भागों बाँटा गया |

प्रत्यक्ष कर

- कर का भार अन्य पर टाला नहीं जाता है जैसे- आयकर
- करघार तथा करपात समान होता है |
- मूल्य वृद्धि का कारण होते है |
- अमीर व गरीब की प्रवाह नहीं होती जैसे-LCD का मूल्य सभी के लिए समान है |

अप्रत्यक्ष कर

- कर भार अन्य टाला जा सकता है जैसे-बिक्री कर
- कराघात तथा करपात समान नहीं होता है |

- मूल्य वृद्धि का कारण होते है |
- अमीर व गरीब की परवाह नही होती जैसे-LCD का मूल्य सभी के लिए समान है |
- **प्रत्यक्ष कर :** ऐसे कर जिनका भार व्यकित किसी अन्य पर टाल नहीं सकता है प्रत्यक्ष कर कहलाता है |
- **प्रत्यक्ष कर मुख्यत:** शुद्ध वार्षिक आय पर ही लगाया जाता है जबकि अप्रत्यक्ष कर सकल वार्षिक आय पर लगाया जाता है |
- **आयकर :** एकवित्तीय वर्ष में एक व्यकित या कम्पनी की शुद्ध वार्षिक आय पर लगने वाला कर 'आयकर'होता है | भारत में आय करारोपण में एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है एक निश्चित सीमा से मुक्त आय के बाद स्लैब प्रणाली के अनुसार विभिन्न दरों क्ररोपित होता है तथा एक निश्चित सीमा के बाद फिर की दर स्थिर हो जाती है |
- भारत में कृषि आयकर से मुक्त है तथा आयकर अपने वर्तमान रूप में केवल राजस्व जुटाने का साधन मात्र है | 1974-75 से पहले देश में आयकर को सीमांत दर 97.75% थी जो संसार में सबसे अधिक थी |
- आयकर सभी व्यक्तियों,संयुक्त हिन्दू परिवारों,गैर-पंजीकृत फर्मो और व्यक्तियों के अन्य समुदायों की कुल आय पर लगाये जाते है |
- चेलैया समिति की अध्यक्षता में इस समिति ने आय के सभी स्तरों को कम करने की सिफारिशों की थी |
- भारत में आयकर सबसे पहले 24 जुलाई,1860 में लगाया गया जिसे 1865 में समाप्त कर दिया गया | बाद में आयकर अधिनियम 1886 पारित हुआ जिसके आधारभूत व्यवस्थाएं आयकर अधिनियम 1961 में बनी हुई है |
- 24 जुलाई,2010 को 150 वर्ष पुरे होने के उपलब्ध में '24 जुलाई' को 'आयकर दिवस' के रूप में मनाया जाता है |
- **निगम कर** : निगम कर मुख्यत: कम्पनी के शुद्ध वार्षिक आय लागू किया जाता है सभी पंजीकृत कम्पनियों और निगमों के लाभांश वितरण से पूर्व,ब्याज एवं अंतर्देशीय राज्स्व भत्ते को छोडकर जो लाभ बचता है उस पर जो कर लगाया जाता है | तो उस निगम कर कहते है |
- सभी मदों पर निगम कर की दर अमन होती है लेकिन विभिन्न प्रकार के बट्टे और छुट की व्यवस्था की गई है | 1960-61 के पहले कम्पनियों पर उनके लाभ पर जो कर लगता था उसे 'सुपर टैक्स' कहते है इनके स्थान पर निगम कर लगाया गया |
- 1976-77 के बजट में निवेश छुट जो विकास छुट से मिलती जुलती है,का प्रावधान किया गया इसे 1990-91 के बजट में वापस ले लिया गया |
- चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर 1994-95 के बजट में निगम कर की दर 40% कर दी गई थी |
- निगम कर के अंतर्गत कुछ प्रावधान निवेश को प्रोत्साहन देते है तो कुछ दुसरे प्रावधानों को खत्म कर देते है प्रोत्साहन प्रावधानों का फायदा उठाकर अनेक कम्पनियाँ "शून्य कर' कम्पनी की श्रेणी में रही है |
- इन 'शून्य कर' कम्पनियों से निपटने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की व्यवस्था 1997-98 में की गई |
- यह कम्पनी विशेष के सकल लाभ के उस भाग पर लागू किया जाता है जिनका पूंजीगत निवेश के लिए उपयोग किया जाता है यहाँ मुल्यहाल पर कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है |
- 2009-10 में MAT की दर 15% थी जिसे 2010-11 में बढ़ाकर 18% तथा 2011-12 के बजट में 18.5% कर दिया गया है |
- MAT की व्यवस्था SEZ कम्पनियों पर लागू नहीं है |
- प्रत्यक्ष कर सुधारों के संबंध में सरकार द्वारा निगम कर को MAT के स्थान पर बढ़ावा दिया जा रहा है |
    - विविध लाभ कर :1 अप्रैल,2005 को लागू किया गया तथा 1 अप्रैल,2009 को हटा दिया गया |
- इसकी दर 10% से 50% तक थी |
- इसमें कुछ कम्निियो अपने रोजगारों को वेतन के अतिरिक्त जो सुविधाएँ देती है इस सुविधाओं पर FBT लगाया जाता है |
- यह देश का पहला व्यय कर था जो विविध लाभ पर लगने वाला कर है अब विविध लाभ कर नहीं लगता है |

- **सम्पत्ति कर** : सम्पत्ति कर पहली बार मई 1957 में लगाया गया था |
- यह व्यक्तियों,संयुक्त हिन्दू परिवारों और कम्पनियों की कर मुक्त सम्पत्ति निकल देने के बाद बचने वाली शुद्ध/निवल सपत्ति पर लगाया जाता है |
- कृषि भूमि,भविष्य निधि और जीवन बीमा की राशि को कर मुक्त रखा गया है |
- उपहार कर : उपहार कर पहली बार अप्रैल 1968 में लगाया जाता | और 1 अक्टूबर,1998 से समाप्त कर दिया गया | अब यह कर आयकर के तहत कुछ शर्तो के साथ करारोपित होगा |

अप्रत्यक्ष/परोक्ष कर

केंद्र सरकार द्वारा	राज्य सरकार द्वारा
उत्पाद शुल्क	मनोरंजन कर
सीमा शुल्क	वैट
सेवा कर	स्टैम्प शुल्क
केन्द्रीय बिक्री कर	पंजीकरण परिवहनराज्य सीमा शुल्क विविध

- **उत्पाद शुल्क :** यह शुल्क उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो देश के भीतर उत्पादित होती है लेकिन ऐसी मादक वस्तुएं जैसे-देशी शराब,तम्बाकू तथा गाँजा आदि जो मानवीय उपभोग में आते है उन वस्तुओं के उत्पादन पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 'राज्य सरकार' द्वारा लगाया जाता है |
- यह शुल्क साधन लागत पर लगाया जाता है |
- **बाजार मूल्य=साधन लागत+अप्रत्यक्षकर- आर्थिक सहायता**

- केन्द्रीय उत्पादन शुल्क
- VAT
- केंद्र सरकार औद्योगिक तथा कृषि वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगा सकती है पर 'चाय' और 'कॉफ़ी' दो वस्तुएं अपवाद स्वरूप छोडकर उत्पाद शुल्क औद्योगिक उत्पादन के साथ जुटा रहा है |
- 1950-51 में उत्पाद शुल्क 70 करोड़ रुपया था जबकि 2011-12 में यह बढकर 163550 करोड़ रुपया होगा |
- नोट:प्राथमिक वस्तुएं- कृषि उत्पाद वस्तुएं-कर मुक्त
  - द्वितीय वस्तुएं - औद्योगिक उत्पाद वस्तुएं-उत्पाद शुल्क
    - तृतीय वस्तुएं- सेवाएं-सेवा कर
- उत्पाद शुल्क को CENVAT के नाम से लागू किया जाता है |
- वी.पी.सिंह के लागू किए गए मोडवेट की तीन विभिन्न दरों को समाप्त कर 16% की एक मोडवेट दर का नया रूप है |
- 24 फरवरी 2009 से उत्पाद शुल्क की मानक दर 8% थी,2010-11 में इसकी दर बढ़ा कर 10% कर दी गई जो 2011-12 में भी बनी हुई है |
- CENVAT 1 अप्रैल,1999 से लागू किया गया |
  - **सीमा कर :** वह कर जो आयत तथा निर्यात की वस्तुओं पर लगाया जाता है, सीमा शुल्क कहलाता है |
- गैर-कृषि वस्तुओं पर सीमा शुल्क की उच्च दर 10% है |
- अब यह केवल आयत पर ही लगता है |
  - **सेवा कर**
- चेलैया समिति की संस्तुति पर सेवाकर को 1994-95 की केन्द्रीय बजट में शुरू किया गया जबकि टेलीफोन,साधारणाबीमा और शेयर दलाली पर सेवा कर 5% की दर से लगाया गया वर्तमान में सेवाकर का दायरा बड़ा है 2010-11 में 120 सेवायें कर के दायरे में है |
- वित्त अधिनियम के तहत सेवा कर की वसूली जम्मू-कश्मीर को छोडकर पुरे भारत में की जा रही है |
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं शुल्क बोर्ड सेवा कर लगाने और वसूल करने से संबंधित नीति तैयार करने का कार्य करता है |
- दिल्ली,मुम्बई,कोलकाता,चेन्नई,अहमदाबाद,बैगलोर में आयुक्तालय स्थित है जो पूर्णतया सेवाकर से संबंधित कार्य करते है |
- वर्तमान में सेवाकर की दर 10.3% है |

- सेवा कर मूलतः संघ सूची का विषय है |
- बिक्री कर राज्य सूची में आता है |
- मूल संविधान में सेवाकर का कोई प्रावधान नहीं है |
- संविधान के 88वें संशोधन में अनुच्छेद एक्ट 268A के नाम से एक नए अनुच्छेद सेवाकर का प्रावधान शामिल किया गया |
- केंदीय सूची में एक नया Subject 92C जोड़ा गया (अनुच्छेद 268A& 2003 में 92C
    - **केन्द्रीय बिक्री दर :**
- यह कर दो राज्यों के बीच व्यापर पर लगाया जाता है |
- इसकी दर 2% है |
    - **सब्सिडी तथा अनुदान :**
- किसी भी वस्तु या सेवा को उसके उत्पादन लागत मूल्य या आर्थिक लागत मूल्य से कम पर आपूर्ति करने के लिए दोनों के अंतर को पूरा करने के सरकार द्वारा जो व्यय दिया जाता है उसे सब्सिडी कहते है |
- सब्सिडी=लागत-मूल्य
- बाजार मूल्य और औसत क्रय शक्ति के बीच अंतर को कम करने के लिए सब्सिडी दी जाती है सब्सिडी के चार प्रमुख मदे व उनके उपाय है -
- खाद्यान्न-Food Stamps की शुरुआत
- उर्वरक - NBS
- पेट्रोलियम-2010 से पेट्रोल के मूल्य में बाजार मूल्य पर आधारित |
- ब्याज
    - मुख्य उर्वरक - DAP-यूरिया फसल के पहले
        - NPK-फसल के बाद
    - **अनुदान**

- भारतीय संविधान की धारा 275 और 282 में केंद्र से राज्यों को सहायक अनुदानों के बारे में है | धारा 275 के अंतर्गत उन राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था की गई जिन्हें सहायता की आवश्यकता हों |
- अनुच्छेद 282 के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनुदान दिया जा सकता है और उसकी राशि केंद्र सरकार अपने निर्णय द्वारा तय करती है |
- अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राज्यों को अनुदान देने के लिए पहले वित्त आयोग ने कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गये है-
- राज्यों की बजट संबंधी आवश्यकताएँ
- कर संबंधी प्रयास
- व्यय में मितव्ययिता
- कुछ विशिष्ट सेवाओं का स्तर
- विशेष उत्तरदायित्व
- राष्ट्रीय महत्व के व्यापक उद्देश्य
- विदेशों को दिए गये अनुदान को गैर योजनागत राजस्व व्यय मानते है |
- ऋण अदायगी को पूंजीगत व्यय माना जाता है पर उस पर दिया जाने वाले ब्याज का भुगतान राजस्व व्यय होता है |
    - **मूल्य संवर्द्धन कर**
- वैट वह कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है इसकी विशेषता यह है यह प्रत्येक स्तर अर्थात् उत्पादन स्तर से खुदरा बिक्री स्तर पर मूल्यों को जोड़कर लगाया जाता है अत: वैट कर स्तरों पर मूल्यों के है अत: वैट कई स्तरों पर मूल्यों के अनुसार लगता है |
- यह बिक्री कर का विकल्प है |
- अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विभिन्न कठिनाइयों पर विचार करने हेतु 1976 में लक्ष्मीकांत झा की अध्यक्षता में गठित झा समिति ने अप्रत्यक्षप्रणाली में कुछ सुधार का सुझाव दिया था उन्ही सुझावों के आधार पर भारत के सभी में 1 अप्रैल,2005 से वैट लागू करने का निर्णय लिया गया |
- वैट को सर्वप्रथम 1918 में जर्मनी ने टर्न ओंवर टैक्स के स्थान पर लागू किया गया पर सफल नहीं रहा |
- U.S.A. में वैट लागू नहीं है |
- वैट के तीन प्रकार है-
- उपभोग वैट
- आय वैट
- उत्पाद का वैट
- भारत में उपभोग प्रकार या रिटेल सेल्स टाइप वैट लागू किया गया | इस प्रकार के वैट किसी समयावधि में आगत या माध्यमिक वस्तुओं पर दिये गये कर को घटा दिया जाता है |

- वैट करों की बहुलता समाप्त करने का प्रावधान है |
- भारत के संविधान की सातवी अनुसूची में सूची ii में प्रविष्टि 54 के अंतर्गत 'एक राज्य के अंदर माल की बिक्री या खरीद पर कर' राज्य का विषय है |
- वैट लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा तथा अंतिम राज्य उत्तर प्रदेश है |
- लक्षद्वीप तथा अडंमान एव निकोबार द्वीपसमूह ऐसेसंशोधित क्षेत्रहै जहाँ बिक्रीकर नहीं है इसलिए वैट लागू नहीं है शेष सभी राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों में वैट लागू है |
    - वैट की दरें :
- विभन्न पर वैट की दर सभी राज्यों सघं राज्य राज्य क्षेत्रों में एक सी होगी |
- राज्य वैट की दो आधारभूत दरें है -
- 4% दरें पर 550 वस्तुएं आती है औद्योगिक आमतों पर लागू |
- 12.5% की दर 270 वस्तुएं आती है अवशिष्ट दर है ये उन सभी वस्तुओं पर लागू होती है जो श्रेणी में नहीं आते है |
- इसके आलावा एक छुट प्राप्त श्रेणी है | कुछ खास मदों में 15%की विशेषकर जिसमे सोने.चांदी और कीमती रत्न है |
- स्थानीय महत्व तथा मूलभूत आवश्यकताओं वाली वस्तुएं जिसमे लगभग 10 मदें है 0% या छुट प्राप्त श्रेणी में आती है |
- 20% की निचली स्तर की दर की अलग श्रेणी है जिन पर वैट नही लगता है जैसे-पेट्रोल,डीजल और हवाई जहाजों में प्रयुक्त ईधन,शराब आदि है |
- इसे हम बहुविन्द्विय विक्रय कर भी कहते है |
    - **वस्तु और सेवा कर**
- यह प्रस्ताव है कि वस्तुओं के साथ सेवा को वैट के दायरे में लाए जाए,ऐसे टैक्स को GST कहते है |
- लगभग सभी केन्द्रशासित प्रदेश तथा सभी राज्य अप्रत्यक्ष करों को इसमें शामिल किया जाना है |
- 1 अप्रैल,2012 से लागू किए जाने की संभावना है |
- इनके लिए 115 वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित किया गया है |
- GST की तीन दरें है |
- कम आवश्यक वस्तुएं-20%
- आवश्यक वस्तुएं -12%
- सेवाएं-18%
- केंद्र एवं राज्य की भागदारी 50-50% रहेगी |

मूल्य संर्वद्धित कर 'माडवैट'

- इस कर प्रणाली के अनुसार आगतों पर मध्यवर्ती वस्तुओं पर कर समाप्त करना नहीं अपितु यह कर का स्थानान्तरणमात्र है जो सामाजिक न्याय की भावना के अनुरूप होगा | यह 1986-87 की बजट में वैट की तरह लागू की गयी थी |

कर आश्रम

- एक ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि वे उस देश में रहकर जो व्यापर करेंगे या वहाँ उद्योग में या अन्य रूप में विनियोग करेंगे उस पर उनको कर नही देना होगा या रियासती दर पर देना होगा ऐसे देशों को टैक्स हेवेन कहते है |

Pan स्थायी खाता

- पैनप्रणाली 1998 में 'सामान्य परिचय पंजीकरण संख्या' के स्थान पर आयकर विभाग द्वारा चलायी गयी | यह 10 अंक तथा अक्षर एक-एक संख्या है जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी होती है |
- पैन का उद्देश्य संभावित आयकर दाताओं को चिन्हित करता है
- इसमे आयकर दाता का नाम,फोटो,जन्मतिथि के साथ हस्ताक्षर होता है |
- इस कार्ड को स्थायी आवास के पते को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग नही लाया जा सकता है |
    - **वन बाई सिक्स स्कीम**
- यह कर अपवंचन रोकने के लिए 1997-98 बजट में शुरू की गयी थी |
    - **आकस्मिक लाभकर**
- ऐसा लाभ या आय जो नियमित स्वभाव का नहीं हो बल्कि कुछ आकस्मिक कारकों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो जाए जैसे क्रूड आयल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में एकाएक बहुत अधिक वृद्धि के कारण तेल कम्पनियों की आय में वृद्धि | लाभ में इस प्रकार की वृद्धि को हम आकस्मिक लाभ कहते है |

एमप्लॉई स्टॉक ऑप्शन्स प्लान :

- इसके अंतर्गत बड़ी कम्पनियों अपनी कम्पनियों के शेयर मुफ्त या रियायती दर पर अपने कर्मचारियों को निर्गत करती है जिन्हें पर वे अपनी इच्छानुसार बेच सके |
- यह एक प्रकार का सीमांत लाभ है | जिसे नियोक्ता को देना होता है |
- 2010-11 में कर राजस्व में निगमकर के बाद,व्यक्तिगत आयकर उत्पाद शुल्क,सीमा शुल्क तथा अन्य सेवाओं के कर का स्थान है |

Empowering Youth
Empowering Nation
HARYANA JOB ALERT
हर सवाल का जवाब!